न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, दूदारामR.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 04/2020

वादी :–
सुखदेव चौधरी पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. खीयाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी बोयल तहसील पीपाड़ शहर
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री गणपतलाल चौधरी वादी की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय दिनांक 03.11.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोयल पटवार क्षेत्र बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की सरहद मे भूमि खसरा नं. 614 रकबा 2.2652 हैक्टेयर,ख.नं.617 रकबा 1.1002 हैक्टेयर,ख.नं.618 रकबा 1.2782 हैक्टेयर,ख.नं.619 रकबा 1.2135 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि सज्जनसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति राजपुत निवासी लोहारकी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर की खातेदारी की थी। खातेदार सज्जनसिंह ने ख.नं.614 रकबा 2.2652 हैक्टेयर,ख.नं.617 रकबा 1.1002 हैक्टेयर,ख.नं.618 रकबा 1.2782 हैक्टेयर,ख.नं.619 रकबा 1.2135 हैक्टेयर भूमि को दिनांक 13.09.1973 को वादी के पक्ष मे 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड बैचाननामा निष्पादित करवा दिया। वादी को घर मे लाड प्यार से सुखाराम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि मे उनका नाम सुखदेव चौधरी लिखा हुआ है। जब वादी के पक्ष मे विवादित भूमि का बैचाननामा निष्पादित किया गया उस समय बैचाननामा मे वादी के पिता गिरधारीराम ने भूलवश या त्रुटिवश वादी का नाम सुखाराम लिखवा दिया जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उनका वास्तविक नाम सुखदेव चौधरी है। वादी अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेते हेतु बैंक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज परिचय पत्र,आधार कार्ड,बैंक डायरी,ड्राईविंग लाइसेन्स,पेंशन प्रमाणपत्र,पैनकार्ड,एस.एस.ओ आईडी कार्ड,वेतन पर्ची आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर के समक्ष पेश किये जिस पर बैंक मैनेजर ने

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

दस्तावेज देखकर बताया की आपका सरकारी दस्तावेज मे आपका नाम सुखदेव चौधरी लिखा हुआ है और जमाबन्दी मे सुखाराम लिखा हुआ है जिस पर बैंक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे शुद्धि आदि करवायी जावे जिस पर वादी ने बैचानकर्ता सज्जनसिंह के घर लोहार की तहसील पोकरण मे जाकर सम्पर्क किया जो जानकारी हुई की बैचानकर्ता सज्जनसिंह का देहान्त हो चुका है इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने सुखाराम के स्थान पर सुखदेव चौधरी नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती राजस्व रेकर्ड मे करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड रहा है। वादी सुखाराम व सुखदेव चौधरी एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि ख.नं.614 रकबा 2.2652 हैक्टेयर,ख.नं.617 रकबा 1.1002 हैक्टेयर,ख.नं.618 रकबा 1.2782 हैक्टेयर,ख.नं.619 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी न्यायालय मे कही कोई आपति,एतराज या अपील,रिवीजन आदि पेश नही की है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर की सरहद मे भूमि ख.नं. 614 रकबा 2.2652 हैक्टेयर,ख.नं.617 रकबा 1.1002 हैक्टेयर,ख.नं. 618 रकबा 1.2782 हैक्टेयर,ख.नं.619 रकबा 1.2135 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से के राजस्व रेकर्ड मे सुखाराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर सुखदेव चौधरी पुत्र गिरधारीराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज गलत नाम सुखाराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर सुखदेव चौधरी का नाम रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ जिन्होने दिनांक 03.11.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बोयल के खसरा नम्बर 614, 617, 618, 619 कुल 4 खसरा कुल रकबा 5.8571 हैक्टयर में वादी के हिस्से में सुखदेव चौधरी पुत्र गिरधारीराम जाति जाट सही नाम है । अतः उपरोक्त वर्णित खसरे में सुखराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट के स्थान सुखदेव चौधरी पुत्र गिरधरीराम जाति जाट का इन्द्राज किया जाना उचित है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

किया गया तथा बहस वकुलाय सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बोयल के खसरा नं. 614, 617, 618, 619 रकबा 5.8571 हैक्टेयर में दर्ज नाम सुखाराम पुत्र गिरधारीराम जाट के स्थान पर सुखदेव चौधरी पुत्र गिरधारीराम जाट दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आज सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर